## नई दिल्ली, 17 मार्च, 2017

का.नि.आ. 19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के समूह 'ग' पदों के भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- 1. इन नियमों का नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
  - 2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, के समूह 'ग' पद के भर्ती नियम, 2013 में,-
  - नियम 3 में शब्द "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान" और "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" रखा जाएगा;
  - 2. अनुसूची के स्तम्भ (4) में,-
    - (क) शीर्षक के लिए निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"
    - (ख) स्तम्भ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी अर्थात:-"वेतन मैट्रिक्स मे स्तर-1 (18000-56900 रु.)",

[फा. सं. मासंविनि/76257/बहु कार्य संवर्ग/आरआर/सी/पी/01/266/डी(आर एंड डी)/2017] हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 4 की अधिसूचना सं. 35 तारीख 23 मई 2013 को और अंतिम संशोधन अधिसूचना का.नि.आ. 12 तारीख 14, मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## New Delhi, the 17th March, 2017

- **S.R.O.** 19.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2013, namely:-
- 1. **Short Title and commencement.-** (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' posts Recruitment(Amendment) Rules, 2017.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2013,-
  - (1) in rule 3, for the words "pay band, grade pay or scales of pay and "pay band and grade pay or scales of pay" the words "level in the pay matrix" shall be substituted;
  - (2) in the Schedule, in column (4),-
    - (a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:
      "Level in the pay matrix";
    - (b) for the entry under column (4), the following entry shall substituted, namely:"Level-1(Rs.18000-56900) in the pay matrix".

[F. No. DHRD/76257/Multi Skilled Cadre/RRs/C/P/01/266/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Notes:-The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II Section-4, vide notification number S.R.O.-35 dated the 23<sup>rd</sup> May, 2013 and last amended vide notification number S.R.O.-12 dated the 14<sup>th</sup> March, 2016.